न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/20/2022	31.01.2022	12.05.2022

बउनवान

1–ओमप्रकाश पुत्र स्व.श्री हरबन्शलाल जाति खत्री उम्र करीब 55 साल निवासी ग्राम टोडियार तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान हाल निवासी मकान नम्बर 347, दाउदपुर, आदर्श कॉलोनी, अलवर
2–जगदीशलाल पुत्र स्व.श्री हरबन्शलाल जाति खत्री उम्र करीब 65 साल निवासी ग्राम टोडियार तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान हाल निवासी मकान नम्बर 347, दाउदपुर, आदर्श कॉलोनी, अलवर
3–रमेशचन्द पुत्र स्व.श्री हरबन्शलाल जाति खत्री उम्र करीब 58 साल निवासी ग्राम टोडियार तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान हाल निवासी प्लाट नम्बर 567, स्कीम नम्बर 2 अलवर –राजस्थान
4–सुभाषचन्द पुत्र स्व.श्री हरबन्शलाल जाति खत्री उम्र करीब 46 साल निवासी ग्राम टोडियार तहसील अलवर जिला अलवर हाल निवासी आदर्श कॉलोनी, दाउदपुर अलवर जिला अलवर–राजस्थान

––वादीगण

बनाम

1–अनूप पुत्र श्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोडियार तहसील व जिला अलवर –राज.
2–धर्मवीर पुत्र श्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोडियार तहसील व जिला अलवर –राज.
3–मुन्शी पुत्र श्री रामशरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोडियार तहसील व जिला अलवर–राज.
4–धर्मपाल पुत्र रामशरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोडियार तहसील व जिला अलवर–राज.
5–बाबूलाल पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोडियार तहसील व जिला अलवर–राज.
6–रामरतन पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोडियार तहसील व जिला अलवर–राजस्थान

––असल प्रतिवादीगण

7–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, अलवर तहसील अलवर जिला अलवर

––तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,
183,188, राज0काश्त0 अधि0

: निर्णय :

वकील वादी ने वाद पेश किया। वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 247/2 मिन रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा का आवंटन, आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा सन 1976 में हम वादीगण के पिता श्री हरबन्शलाल पुत्र श्री सन्तराम खत्री को किया गया। साबिक खसरा नम्बर 247 जो बडा रकबा था का राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा तितम्बा काटा जाकर विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 247/2 मिन रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कायम किया गया तथा हम वादीगण के पिता श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री के हक में राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा उक्त आवंटित विवादित आराजी की बाबत गैरखातेदारी का इंतकाल भी स्वीकार किया गया। इसके बाद बदस्तूर 10 साल से अधिक समय तक गैरखातेदार अधिकार कायमी रहने की वजह से कानूनन नियमानुसार हम वादीगण के पिता आवंटी श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री को विवादित आराजी की बाबत खातेदारी अधिकार आयद हुए। चूंकि अब उक्त आवंटी खातेदार हम वादीगण के पिता श्री हरबन्शलाल का देहान्त सन 1989 को हो चुका है जिसके हम वादीगण व उनकी पत्नी कौशल्या देवी कानूनी वारिसान है। हम वादीगण व कौशल्या देवी के अलावा उक्त खातेदार श्री हरबंशलाल के अन्य कोई वारिसान नही है। इसी बिना पर मृतक खातेदार श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री का विरासत इंतकाल हम वादीगण व कौशल्या देवी हक में ताहाल राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार स्वीकृत होकर ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में हम वादीगण व कौशल्या देवी के नाम का बतौर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

,खातेदार काश्तकार के अमल दरामद आ गया है हम वादीगण की माता कौशल्या देवी का भी दिनांक 14/03/2001 को देहान्त हो चुका है। इस प्रकार विवादित आराजी के हम वादीगण ही खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी, आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा हम वादीगण के पिता श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री को वादीगण के पिता आवंटी श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री को विवादित आराजी की बाबत खातेदारी अधिकार आयद हुए। चूंकि अब उक्त आवंटी खातेदार हम वादीगण के पिता श्री हरबन्शलाल का देहान्त सन 1989 को हो चुका है जिसके हम वादीगण व उनकी पत्नी कौशल्या देवी कानूनी वारिसान है। हम वादीगण व कौशल्या देवी के अलावा उक्त खातेदार श्री हरबंशलाल के अन्य कोई वारिसान नही है। इसी बिना पर मृतक खातेदार श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री का विरासत इंतकाल हम वादीगण व कौशल्या देवी हक में ताहाल राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार स्वीकृत होकर ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में हम वादीगण व कौशल्या देवी के नाम का बतौर ,खातेदार काश्तकार के अमल दरामद आ गया है हम वादीगण की माता कौशल्या देवी का भी दिनांक 14/03/2001 को देहान्त हो चुका है। इस प्रकार विवादित आराजी के हम वादीगण ही खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी, आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा हम वादीगण के पिता श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री को उनके जीवनकाल में आवंटित की गई थी लेकिन प्रशासन द्वारा हम वादीगण के पिता व आवंटी श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री को उनके जीवनकाल में आवंटित विवादित आराजी के स्थान पर दीगर आराजी खसर नम्बर 625 रकबा 0.05 किस्म गैरमुमकिन गडढा, 626 रकवा 1.18 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन पहाड किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर जो साबिक खसरा नम्बर 365 मिन किस्म गैरमुमकिन पहाड से बने है पर कब्जा सम्भलवा दिया गया। चूंकि प्रशासन द्वारा आंवटी हरबन्शलाल को उक्त आराजी का कब्जा सम्भलवाया गया इससे आवंटी श्री हरबन्शलाल आश्वस्त थे कि उसे आवंटित आराजी पर ही कब्जा मिला होगा। उसके बाद आवंटी हरबन्शलाल द्वारा उक्त दीगर गैरमुमकिन पहाड की आराजी खसरा नम्बर हाल 625, 626 को अपनी अलोटशुदा विवादित आराजी मानकर अपनी जिसमानी मेहनत व लागत से कृषि योग्य भूमि बनाकर कार्य काश्त करने लगे और सिचाई वास्ते अपनी निजी लागत से उक्त दीगर आराजी हाल खसरा नम्बरान मे से खसरा नम्बर 625 में एक कुंआ भी बनवाया गया जो कुंआ वर्तमान में जर्जर हालत में है एवं कुंएं का पानी भी सुख चुका है। आवंटी हरबन्शलाल को अपने जीवनकाल में यह ज्ञात नहीं हो सका कि उनको विवादित आराजी आंवटित हुई थी और उसी आवंटित आराजी पर उसे कब्जा मिलना चाहिए था। हम वादीगण के पिता व आवंटी श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री जोकि सज्जन व भोले इंसान थे जिनको प्रशासन द्वारा जहाँ कब्जा दिलाया वही पर काबिज रह कर कार्य काश्त करते रहे और हम वादीगण भी अपने मृतक आवंटी पिता श्री हरबन्शलाल के फुटेज पर उक्त दीगर आराजी हाल खसरा नम्बर 625, 626 पर काबिज रह कर कार्य काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस आराजीयात पर कार्य काश्त करने में भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है तथा मानसिक वेदनाऐ भी झेल रहे है। हम वादीगण भी आज तक इस बात से अनभिज्ञ रहे कि पिता हरबन्शलाल को आवंटित आराजी विवादित आराजी है तथा उनके पास कब्जे मे जो आराजी खसरा नम्बर 625, 626 है, पिता हरबन्शलाल की आवंटी आराजी नही हैं। मौके पर जानकारी के अभाव में आराजी खसरा नम्बर 625,626 को ही आंवटित विवादित आराजी मानकर कार्य काश्त करते चले आ रहे है।

यहकि चूंकि अब विगत कुछ समय से प्रतिवादीगण अन्य कुछेक असामाजिक तत्वो के साथ मिल्लत कर हम वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा डालने का प्रयास करने लगे और लालचवश जबरन जमीन पर कब्जा करने को अमादा है। इसलिए विवादित आराजी की पैमायश कराने के लिए हम वादीगण ने माह माह दिसम्बर सन 2021 में तकमील प्रतिवादी तहसीलदार साहब से सम्पर्क किया जिस पर पटवारी हल्का, कानूनगो विवादित आराजी की पैमायश करने आये तो उन्होने मौका आराजी देखकर कहा कि यह विवादित आराजी नही हैं यह दीगर आराजी खसरा नम्बर 625 किस्म गैरमुमकिन गडढा व खसरा नम्बर 626 किस्म गैरमुमकिन पहाड हैं। यह सुनकर हम वादीगण को भारी मानसिक आघात लगा। इसके बाद उक्त संबंध में और दरियाफत करने पर ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी पर असल प्रतिवादीगण का कब्जा है जबकि विवादित आराजी की बाबत आवंटन रिकॉर्ड, तमाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में आवंटी हरबन्शलाल के नाम का व उनके फौत के बाद हम वादीगण के नाम का ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में अमल दरामद चला आ रहा हैं। उक्त तथ्य की जानकारी के बाद हम वादीगण ने असल प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर उनको उक्त हालात से अवगत कराते हुए विवादित आराजी का कब्जा हम वादीगण उनके जीवनकाल में आवंटित की गई थी लेकिन प्रशासन द्वारा हम वादीगण के पिता व आवंटी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री को उनके जीवनकाल में आवंटित विवादित आराजी के स्थान पर दीगर आराजी खसरा नम्बर 625 रकबा 0.05 किस्म गैरमुमकिन गडढा, 626 रकबा 1.18 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन पहाड किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर जो साविक खसरा नम्बर 365 मिन किस्म गैरमुमकिन पहाड से बने है पर कब्जा सम्भलवा दिया गया। चूंकि प्रशासन द्वारा आंवटी हरबन्शलाल को उक्त आराजी का कब्जा सम्भलवाया गया इससे आवंटी श्री हरबन्शलाल आश्वस्त थे कि उसे आवंटित आराजी का कब्जा मिला होगा। उसके बाद आवंटी हरबन्शलाल द्वारा उक्त दीगर गैरमुमकिन पहाड की आराजी खसरा नम्बर हाल 625, 626 को अपनी अलोटशुदा विवादित आराजी मानकर अपनी जिसमानी मेहनत व लागत से कृषि योग्य भूमि बनाकर कार्य काश्त करने लगे और सिचाई वास्ते अपनी निजी लागत से उक्त दीगर आराजी हाल खसरा नम्बरान मे से खसरा नम्बर 625 में एक कुंआ भी बनवाया गया जो कुंआ वर्तमान में जर्जर हालत में है एवं कुंएं का पानी भी सुख चुका है। आवंटी हरबन्शलाल को अपने जीवनकाल में यह ज्ञात नहीं हो सका कि उनको विवादित आराजी आंवटित हुई थी और उसी आवंटित आराजी पर उसे कब्जा मिलना चाहिए था। हम वादीगण के पिता व आवंटी श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री जोकि सज्जन व भोले इंसान थे जिनको प्रशासन द्वारा जहाँ कब्जा दिलाया वही पर काबिज रह कर कार्य काश्त करते रहे और हम वादीगण भी अपने मृतक आवंटी पिता श्री हरबन्शलाल के फुटेज पर उक्त दीगर आराजी हाल खसरा नम्बर 625, 626 पर काबिज रह कर कार्य काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस आराजीयात पर कार्य काश्त करने में भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है तथा मानसिक वेदनाऐ भी झेल रहे है। हम वादीगण भी आज तक इस बात से अनभिज्ञ रहे कि पिता हरबन्शलाल को आवंटित आराजी विवादित आराजी है तथा उनके पास कब्जे मे जो आराजी खसरा नम्बर 625, 626 है, पिता हरबन्शलाल की आवंटी आराजी नही हैं। मौके पर जानकारी के अभाव में आराजी खसरा नम्बर 625,626 को ही आंवटित विवादित आराजी मानकर कार्य काश्त करते चले आ रहे है। यहकि चूंकि अब विगत कुछ समय से प्रतिवादीगण अन्य कुछेक असामाजिक तत्वो के साथ मिल्लत कर हम वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा डालने का प्रयास करने लगे और लालचवश जबरन जमीन पर कब्जा करने को अमादा है। जब कि विवादित आराजी की बाबत आवंटन रिकॉर्ड, तमाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में आवंटी हरबन्शलाल के नाम का व उनके फौत के बाद हम वादीगण के नाम का ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में अमल दरामद चला आ रहा हैं। उक्त तथ्य की जानकारी के बाद हम वादीगण ने असल प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर उनको उक्त हालात से अवगत कराते हुए विवादित आराजी का कब्जा हम वादीगण के सुपुर्द करने को कहा लेकिन असल प्रतिवादीगण टालबाल कर गए। इस दरमियान हम वादीगण को यह भी ज्ञात हआ कि असल प्रतिवादीगण अपने विवादित आराजी पर अवैध कब्जे की आड में बाले बाले राजस्व विभाग के अधिकारीं/कर्मचारीयो से मिल्लत कर विवादित आराजी की बाबत राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का अमल दरामद कराने की जुस्तजू में है जिन्हे ऐसा करने कोई कानूनी अधिकार नही हैं। जबकि मुताबिक आवंटन, मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि के मृतक आवंटी हरबन्शलाल जर्ये वारिस हम वादीगण को विवादित आराजी की बाबत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक आवंटी हरबन्शलाल जर्ये वारिस हम वादीगण के नाम का अमल दरामद ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में यथावत रखा जाना न्यायोचित है। वादीगणों के द्वारा प्रशासन, तकमीली प्रतिवादी तहसीलदार साहब को उक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया जाकर विवादित आराजी से असल प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा आराजी मुतनाजा वादीगण को दिलाये जाने बाबत निवेदन किया गया तो उन्होने माना कि विवादित आराजी हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री को आवंटन करने के बाद विवादित आराजी का कब्जा उन्हे मिलना चाहिए लेकिन प्रशासन द्वारा दीगर आराजी पर कब्जा सौंपा गया। इसके लिए खेद है लेकिन फिर साफ तौर पर कहा कि बिना अदालती आदेश के हम कुछ नही कर सकते हैं ओर कहा कि असल प्रतिवादीगण से आग्रह करो अगर वो स्वंय ही जमीन खाली कर कब्जा दे देते है तो तुम्हारी समस्या का निदान हो जावेगा और मुकदमें से भी बच जाओगे। इस पर हम वादीगण ने पुनः अब दिनांक 26/01/2022 को असल प्रतिवादीगण से कहा कि वो विवादित आराजी का कब्जा वादीगण को सौपे तो इस पर असल प्रतिवादीगण उग्र हो गए और मारपीट को अमादा हो गए तथा कहा कि हम इस आराजी मुतनाजा पर काफी समय से काबिज है और अब विवादित आराजी को अपने नाम कराके रहेगे, हमारी राजस्व रिकॉर्ड के अधिकारी/कर्मचारियो से बात हो गई और कहा कि दुबारा यह जमीन पर आये तो जिन्दा नही छोडेगे। विवादित आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचान करेगे। निर्माण करेगे। तुम से जो होवे कर लेना। जबकि विवादित आराजी की बाबत असल प्रतिवादीगण गैरवास्ता शख्स है। चूंकि असल

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रतिवादीगण अजखुद जानबूझकर विवादित आराजी पर से कब्जा नही छोड रहे है और विवादित आराजी कि जिसके हम वादीगण असली मालिक खातेदार है, का कब्जा हम वादीगण के सुपुर्द नही कर रह है। इसलिए हम वादीगण जर्ये अदालत असल प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से मय पुलिस बल बेदखल कर कब्जा विवादित आराजी पाने के कानूनन हकदार है। यदि असल प्रतिवादीगण अपने नापाम इरादो में सफल हो गए तो उस सूरत में हम वादीगण को अपार नापूर्ति होने वाली क्षति होगी, बेजा मुकदमेंबाजी में ...ना पडेगा, भारी आर्थिक क्षति होगी व मौके पर झगडा फिसाद होने का अन्देशा बना रहेगा व तनाव के हालात पैदा होगे। इसलिए असल प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार जोकि लैण्ड होल्डर है जिस कारण इसे रफा हुज्जत वास्ते बतौर तकमीली प्रतिवादी के रूप में मुकदमा पक्षकार बनाया गयाहै। जिसे कानूनन धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। मौजूदा वाद के लिए विनायदावी व विनायमुखासमत इस कदर पैदा होती है कि विवादित आराजी हम वादीगण के पिता श्री हरबन्शलाल पुत्र सन्तराम खत्री की आवंटितशुदा आराजी है जिसकी बाबत खातेदारी अधिकार भी आयद हो चुके है तथा आंवटी खातेदार हरबन्शलाल का देहान्त हो चुका है जिसके हम वादीगण व कौशल्या देवी कानूनी वारिसान है और मृतक आवंटी खातेदार हरबन्शलाल का विरासत इंतकाल भी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व कौशल्या देवी के हक में स्वीकृत होकर ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में अमल दरामद आ चुका है। अब कौशल्या देवी का भी देहान्त हो चुका है जिसके कानूनी वारिस वादीगण ही है। विवादित आराजी के आवंटन के बाद प्रशासन द्वारा विवादित आराजी के स्थान पर दीगर आराजी खसरा नम्बर हाल 625 किस्म गैरमुमकिन गडढा, 626 किस्म गैरमुमकिन पहाड पर कब्जा दे दिया। जिसे आवंटितशुदा विवादित आराजी मानकर आवंटी हरबन्शलाल अपने जीवनकाल में एवं उनके फौत के बाद उसके वारिस वादीगण कार्य काश्त करते आ रहे है। अब हाल में माह दिसम्बर सन 2021 में विवादित आराजी की पैमायश करने आये पटवारी हल्का, कानूनगो द्वारा बताया गया कि उक्त आराजी विवादित आराजी नही है बल्कि दीगर आराजी खसरा नम्बर 625 गैरमुमकिन गडढा, खसरा नम्बर 626 गैरमुमकिन पहाड हैं। इसके बाद दरियाफत करने पर ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी पर असल प्रतिवादीगण का कब्जा हैं। असल प्रतिवादीगण को वस्तुस्थिति से अवगत कराया और विवादित आराजी से कब्जा छोडने व वादीगण को कब्जा सौपने बाबत कहा गया लेकिन वो टालबाल हो गए। प्रशासन से, तकमीली प्रतिवादी तहसीलदार साहब से भी विवादित आराजी का कब्जा दिलाने को कहा तो उन्होने बिना अदालती आदेश के हम कुछ नही कर सकते हैं। इसके बाद पुनः अब दिनांक 26/01/2022 को असल प्रतिवादीगण से कहा कि वो विवादित आराजी का कब्जा वादीगण को सौपे तो इस पर असल प्रतिवादीगण उग्र हो गए और मारपीट को अमादा हो गए तथा कहा कि हम इस आराजी मुतनाजा पर काफी समय से काबिज है और अब विवादित आराजी को अपने नाम कराके रहेगे, हमारी राजस्व रिकॉर्ड के अधिकारी/कर्मचारियो से बात हो गई और कहा कि दुबारा यह जमीन पर आये तो जिन्दा नही छोडेगे। विवादित आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचान करेगे। निर्माण करेगे। तुम से जो होवे कर लेना।

दावा वादीगण पेश कर निवेदन किया दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद. वादीगण डिकी फरमाया जाकर निम्न अनुतोष अतः फरमाया जावे कि डिक्री बाबत इश्तकरारहक बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर सादिर फरमायी जावे कि विवादित ...हाल खसरा नम्बर 486 रकबा 1. 0400 हैक्टेयर जो साबिक खसरा नम्बर 247/2 मिन रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा से बने है वाके ग्राम टोडियार तहसील अलवर जिला अलवर-राज. पर से जर्ये अदालत मय पुलिस इमराद के असल प्रतिवादीगण को बेदखल कर विवादित आराजीयात पर दखल (कब्जा) वादीगण का कराया जावे। डिक्री बाबत हुकमइम्तनाई दवामी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर सादिर फरमायी जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 486 रकबा 1.0400 हैक्टेयर जो साबिक खसरा नम्बर 247/2 मिन रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा से बने है वाके ग्राम टोडियार तहसील अलवर जिला अलवर-राज. पर असल प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से तामीरात ना करे, दीगर को बेचान आदि नाकरे, शख्ल तब्दील ना करे। मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये अखबार साया करवाई गई। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये अखबार साया होने के बावजूद प्रतिवादीगण न्यायालय में हाजिर नही हुए। प्रतिवादीगण के अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

रहने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2022 को प्रतिवादीगण के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही करते हुए साक्ष्य वादी लिए गए, तत्पश्चात वकीलवादी के बहस सुनी।

हमने वकीलवादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। मुताबिक संलग्न दस्तावेजात वादीगण के पिता हरबंश लाल को साबिक खसरा नम्बर 247 में सें 4बीघा 2 बिस्वा आराजी वाके ग्राम टोडियार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.04.1976 को आवंटित की गई थी। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सवंत 2051–2070 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 247 के हाल खसरा नम्बर 486 कायम किये गये। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070–2074 ग्राम टोडियार के खाता संख्या 25, 486 रकबा 1.04 है0, पर वादीगण बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पिता को साबिक खसरा नम्बर 247 में आवन्टन हुआ था। किन्तु वादीगण साबिक खसरा नम्बर 247 के हाल खसरा नम्बर 486 पर मौके पर काबिज नही होकर खसरा नम्बर 625,626 गैर मु0 गडढा व गैर मु0 पहाड पर काबिज है। और खसरा नम्बर 486 पर प्रतिवादीगण असल का कब्जा है। वादीगण ने अपने पिता को आवंटित खसरा नम्बर 247 के हाल खसरा नम्बर 486, पर कब्जा दिलाने एवं प्रतिवादीगण को उनके आवन्टित आराजी से बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। जो विधि द्वारा सुस्थापित सिद्वान्त के अनुरूप दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है,कि वादीगण के पिता को आवंटित साबिक खसरा नम्बर 247 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 486 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम टोडियार से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलवायें। पर्चा डिक्री जारी हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर